

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0-2/एम0एम0 (बा0) 199/18-...../एम0, पटना, दिनांक-.....
प्रेषक,

Web/
E-mail/whats-
App

संजय कुमार,
सहायक निदेशक (मु0)।

सेवा में,

सभी उप निदेशक,
सभी सहायक निदेशक,
सभी खनिज विकास पदाधिकारी,
सभी खान निरीक्षक।

विषय:- बालूघाटों पर धर्मकाँटा के अधिष्ठान के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-3369/एम0, दिनांक-20.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार कहना है कि प्रसंगाधीन विभागीय पत्र के द्वारा संसूचित निदेश के तहत दिनांक-01.10.2018 के उपरांत धर्मकाँटा जुड़े बालूघाटों से चालान निर्गत किया जायेगा। एतद् क्रम में दिनांक-23.08.2018 को बालूघाट बंदोबस्तधारियों द्वारा विभागीय बैठक में ट्रैक्टर बालूघाटों को धर्मकाँटा से Tag नहीं करने के अनुरोध पर विभागीय स्तर पर निर्णय लिया गया कि ट्रैक्टर अगले आदेश तक (तत्काल) ट्रैक्टर को धर्मकाँटा की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाय तथा वैसे बालूघाटों जिसमें ट्रकों के माध्यम से लघु खनिज बालू का परिवहन किया जाता है, उन्हीं बालूघाटों को धर्मकाँटा से tag कराने की कार्रवाई की जाय।

ट्रैक्टर के लिये चालान निर्गत करने का प्रक्रिया यथावत रहेगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

सहायक निदेशक (मु0)

e-mail/Fax

ज्ञापांक-.....3535...../एम0, पटना, दिनांक- 31/8/18

प्रतिलिपि:- सभी समाहर्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

mm
31/8/18

सहायक निदेशक (मु0)